13.12.2014

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय एवं वृहद लोक अदालत में खात्मा कार्यवाही पर विचार हेतू नियत है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बैहर, जिला–बालाघाट एवं अति. पुलिस अधीक्षक जिला बालाघाट द्वारा खात्मा कार्यवाही हेतु अनुशंसा बाबद् पत्र केस डायरी के साथ संलग्न है।

प्रकरण में साक्षी कमार्क-1 विनोद कुमार शुक्ला के खात्मा कथन लेखबद्व किये गये है, उक्त साक्षी ने खात्मा कार्यवाही किये जाने में कोई आपित्ति पेश नहीं की। अतएव मामले की प्रकृति तथा मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को देखते हुये खात्मा कार्यवाही स्वीकृत की जाती है।

केस डायरी वापस हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी. बैहर जिला बालाघाट

त.श्र बालाघ। स्रोतिका स्रोतिक